"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 29, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 29, 1933)

क्रमांक-14439/वि.स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 24 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्रमांक 28 सन् 2006) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्रमांक 28 सन् 2006) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "कृषिक पशु" से अभिप्रेत है, अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पशु;

(ख) "कृषिक पशु कल्याण अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु कार्य करेगा यथा कृषिक पशु की तलाशी एवं जप्ती, वाहन की तलाशी एवं जप्ती करना, पशुओं को अपनी अभिरक्षा में लेना एवं अभियोजन प्रारंभ करना;

(ग) "मांस" से अभिप्रेत है, कृषिक पशु का मांस;

(घ) "सक्षम-प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति जैसा विहित किया जाए;

(ङ) "संस्था" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती के अधीन कृषिक पशु को रखने, उनके प्रजनन तथा भरण-पोषण करने के प्रयोजन के लिये या अशक्त, बूढ़े और रोगी कृषिक पशु का ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई रजिस्ट्रीकृत, कोई पूर्त संस्था से है;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(छ) "वध" से अभिप्रेत है, किसी भी पद्धति से, चाहे वह कुछ भी हो, हत्या करना और उसमें ऐसा अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्मिलित है, जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए;

(ज) "परिवहन" से अभिप्रेत है, कृषिक पशु को वाहन द्वारा या पैदल अथवा अन्य किसी साधन से ले जाना;

(झ) "वाहन" से अभिप्रेत है, भूमि, जल या वायु मार्ग से उपयोग में लाए गये यांत्रिकी या हस्तचलित वाहन."

3. मूल अधिनियम की धारा 3, धारा 13 एवं धारा 17 में शब्द "पशु चिकित्सा अधिकारी" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "कृषिक पशु कल्याण अधिकारी" प्रतिस्थापित किए जाएं.

धारा 3, धारा 13 एवं धारा 17 का संशोधन.

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 6 को निम्नानुसार पुनःक्रमांकित किया जाए;
"6 (1)"

धारा 6 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(2) जब कभी भी कोई व्यक्ति अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी कृषिक पशु का उप-धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में परिवहन करता है या परिवहन कराता है, तो ऐसे पशुओं के परिवहन में प्रयुक्त ऐसा वाहन या प्रवहण कृषिक पशु सहित ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे के द्वारा जप्त किए जाने हेतु दायी होंगे.

(3) उप-धारा (2) के अंतर्गत इस प्रकार जप्त किए गए वाहन या प्रवहण को ऐसी जप्ती के दिनांक से छः माह की समाप्ति के पूर्व बंधपत्र या प्रतिभूति पर न्यायालय के आदेश द्वारा या न्यायालय के अंतिम निर्णय तक, जो भी पहले हो, निर्मुक्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसा वाहन विचारण की समाप्ति पर अधिहरण के लिए दायी होगा."

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "सात" एवं शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किए जाएं.

धारा 10 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

अनुसूची का संशोधन.

"अनुसूची एक
[देखिए धारा 2 (क)]

कृषिक पशु —

1. सभी आयु की गायें.
2. बछड़ा-बछिया और पाड़ा-पड़िया.
3. सांड.
4. बैल.
5. भैंसा, भैंसे."

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 प्रदेश में प्रभावी है. अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रदेश में कृषिक पशुओं का वध प्रतिषेध है. अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 6 में क्रमशः कृषिक पशुओं का वध, कृषिक पशुओं का मांस रखना एवं वध के उद्देश्य से प्रदेश के भीतर या प्रदेश के बाहर परिवहन प्रतिबंधित है. इन धाराओं के उल्लंघन में 03 वर्ष तक का कारावास या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों में से दण्डित किये जाने का प्रावधान है.

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषिक पशुओं की लोकहित में महत्ता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान दण्ड प्रावधानों को और कठोर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई. तद्नुसार मूल अधिनियम की धारा-10 में दण्ड के प्रावधानों को कठोर करने हेतु प्रस्तावित किया गया है कि धारा-4, 5 एवं 6 के उल्लंघन की दशा में 07 वर्ष तक का कारावास या रुपये 50 हजार तक का अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा.

कृषिक पशुओं के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन को जब्त करने एवं 06 महीने के पूर्व नहीं छोड़ने अथवा न्यायालयीन निराकरण होने तक जब्त करना प्रावधानित किया गया है.

तद्नुसार छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम (संशोधन) 2011 प्रस्तावित है.

यत: विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

तारीख 14 दिसम्बर, 2011

चन्द्रशेखर साहू
कृषि, पशुधन विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्रमांक 28 सन् 2006) की विभिन्न धाराओं के सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "मांस" से अभिप्रेत है, कृषिक पशु का मांस,

(ख) "कृषिक पशु" से अभिप्रेत है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पशु, से है,

(ग) "सक्षम-प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करने के लिये इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो, से है,

(घ) "संस्था" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती के अधीन कृषिक पशु को रखने, उनके प्रजनन तथा भरण-पोषण करने के प्रयोजन के लिये या अशक्त, बूढ़े और रोगी कृषिक पशु को ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई रजिस्ट्रीकृत कोई पूर्त संस्था से है,

(ङ) "वध" से अभिप्रेत है, किसी भी पद्धति से, चाहे वह कुछ भी हो, हत्या करना और उसमें ऐसा अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्मिलित है, जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए, से है,

(च) "परिवहन" से अभिप्रेत है, कृषिक पशु को वाहन द्वारा या पैदल अथवा अन्य किसी साधन से ले जाना,

(छ) "पशु चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति,

(ज) "यान" से अभिप्रेत है, भूमि, जल या वायु मार्ग से उपयोग में लाए गये यांत्रिको या हस्तचलित वाहन.

* * * * * * * * * * * * * *

3. **पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति :**—राज्य शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, स्थानीय क्षेत्र के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

6. **वध के लिये गौ वंश के परिवहन पर प्रतिषेध :**—कोई भी व्यक्ति किसी कृषिक पशु का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उसके वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुये कि उसका इस प्रकार वध किया जावेगा या वध किये जाने की संभावना है, राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान पर या राज्य के बाहर के किसी स्थान को न तो बिक्री करेगा न परिवहन करेगा, न ही परिवहन के लिये देगा और न उसका परिवहन कराएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

10. **शास्ति :**—जो कोई धारा 4, 5 एवं 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से, जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

13. **प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति :**—

(1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने का प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिसर में, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां इसके अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है, प्रवेश करे तथा उनका निरीक्षण करें.

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी ऐसे परिसर पर अधिभोग रखता हो, सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी या लिखित में सक्षम अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उस परिसर में ऐसा प्रवेश करने हेतु अनुज्ञात करेगा जैसा कि वह पूर्वोक्त प्रायोजन के लिये अपेक्षित करे, और यथास्थिति उस सक्षम प्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान अथवा विश्वास के अनुसार देगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये किसी यान को रोके या तलाशी ले.

(4) तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 100 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

17. **इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जायेंगे :—** समस्त सक्षम प्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाते हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

अनुसूची

देखिए धारा 2 (ख)

कृषिक पशु —

(1) सभी आयु के गायें
(2) बछड़ा-बछिया और पाड़ा-पड़िया
(3) सांड
(4) बैल
(5) भैंसा, भैंसे

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.